

होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा आज से, तीन दिन रहेगा अलर्ट

कड़ी सुरक्षा में प्रश्नपत्र जिलों के स्ट्रॉंग रूम तक पहुंचाए गए

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। होमगार्ड के करीब 42 हजार पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन शनिवार से होगा। सोमवार तक यह परीक्षा रोजाना दो पालियों में सुबह 10 से 12 और शाम 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं शुचित्तापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा के दौरान तीन दिन तक प्रदेश पुलिस अलर्ट पर रहेगी। शनिवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक आने शुरू हो गए हैं।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने बताया कि श्रावस्ती को छोड़कर अन्य सभी जिलों में एक हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सकुशल आयोजन के लिए नोडल अधिकारियों को तैनाती की गई है, जिनकी देखरेख में

परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों पर होगी पैंनी नजर

सर्वाधिक रिकितयों वाले टॉप-10 जिले	
कानपुर नगर	1947
लखनऊ	1371
आगरा	1232
प्रयागराज	1219
हरदोई	1072
वाराणसी	1004
सीतापुर	927
जौनपुर	900
आजमगढ़	867
गोरखपुर	830

प्रश्नपत्र जिलों के स्ट्रॉंग रूम में कड़ी सुरक्षा में पहुंच चुके हैं।

परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को इस बाबत पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं।

10 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

प्रयागराज। यूपी होमगार्ड परीक्षा-2026 के लिए अभ्यर्थियों को सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने 10 विशेष ट्रेन का प्रस्ताव तैयार किया है, वहीं रोडवेज ने भी विभिन्न रुटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को होमा प्रयागराज मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह के अनुसार, परीक्षार्थियों को आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के रूट में विस्तार किया गया है। कानपुर-फतेहपुर मेमू अब सुबेदारगंज तक चलेगी, जबकि इटावा-कानपुर मेमू को लखनऊ तक और दिल्ली-टुंडला मेमू को गोंबिंदपुरी तक विस्तारित किया गया है।आगरा-मैनपुरी मेमू भी अब फर्रुखाबाद तक चलेगी। इसके साथ ही नियमित पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और टुंडला में बार रूम सक्रिय किया गया है। ब्यूरो

पत्थरबाजी समेत रेलवे

की हर घटना की गहनता से करें जांच : डीजीपी

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक राजीव कुण्ठ ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी सहित रेलवे से संबंधित हर छोटी-बड़ी घटना की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उन्होंने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। उन्होंने रेलवे सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डीजीपी ने कहा कि घिनत बर्तों में ट्रेनों और यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में सभी रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में परस्पर समन्वय जरूरी है। पुलिस महानिदेशक ने महाकुंभ मेला-2025 की तैयारियों की प्रशंसा की। इस दौरान लगभग 6 करोड़ लोगों को ट्रेन द्वारा प्रयागराज आगमन और सकुशल वापसी को राष्ट्रीय स्तर पर एक रोल मॉडल बताया। बैठक में तकनीकी संवर्धन, पत्थरबाजी निरोधण और ट्रेक अवरोध रोकथाम पर प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त ट्रेक पेट्रोलिंग पर भी चर्चा हुई। रेल यात्रियों की सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श हुआ। एंडीजी कानून-व्यवस्था अतिताथ यश ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता के खुलाशों के बाद छोटी घटनाओं की गहनता से जांच को जरूरी बताया। ब्यूरो

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल

बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला

लखनऊ। प्रदेश सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल आगामी 26 मई को पूरा हो रहा है। फिलहाल समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनने से पंचायत चुनाव कराने पर संशय है। इसके अलावा मतदाता सूची भी तैयार नहीं है। तमाम ग्राम प्रधान भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

पंचायती राज विभाग के एक्ट के अनुसार पहली ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक बैठायी जाता है। एंडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाकर चुनाव न होने तक कार्य चलाया जाता है। इसके अलावा प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का अधिकार दिया जा सकता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है।

जनप्रतिनिधि के तौर पर ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान हालात में पहली बार प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान हो सकता है। ब्यूरो

शिक्षामित्रों के बड़े हुए मानदेय के लिए 250 करोड़ जारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद एक अप्रैल से 1.43 लाख से अधिक शिक्षामित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने 250 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक मई को आने वाले मानदेय में उन्हें 18000 रुपये मिलेंगे।

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा की थी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर बजट आबंटन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग निम्नानुसार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि शासन की ओर से शिक्षामित्रों को 10 से बढ़ाकर 18000 रुपये मानदेय किया गया है। इसके अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। ब्यूरो

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को

लेकर उपभोक्ताओं

में आक्रोश

लखनऊ। प्रदेश में अभी भी नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले से लगे मीटरों को पोस्टपेड में बदलने के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि नियम विरुद्ध लगाए जा रहे मीटरों पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रीपेड मीटर से प्रभावित होने वालों में सर्वाधिक गरीब और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता हैं। बिना उनकी सहमति लिए ही उनके घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का आरोप है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि एक अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। फिर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसमें आक्रोश बढ़ रहा है। ब्यूरो

मिरान ईको क्लब के गठन

में जिलों की लापरवाही

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में ईको क्लब फॉर मिरान लाइफ के गठन के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल व बिजली बचाने और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। हालांकि, जिला स्तर पर अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के कड़े निर्देशों के बावजूद, अब तक 10 जिलों में 40 फीसदी से भी कम विद्यालयों में क्लब बने हैं। वहीं, 39 जिलों में 50 फीसदी से कम विद्यालयों में ही इनका गठन हो पाया है। ब्यूरो

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय Office of the Regional Provident Fund Commissioner क्षेत्रीय कार्यालय: 55/2 - संजय प्लेस, आगरा - 282002 Regional Office: 55/2 - Sanjay Place, Agra -282002 ई-मेल: - ro.agra@epfindia.gov.in, जनसंपर्क अधिकारी :-0562- 2850435	
पत्र सं० -38/क्षे.का./आगरा/प्रशा./2026	दिनांक 24.04.2026
“निधि आपके निकट 2.0”	
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा Nidhi Apke Nikat 2.0 as District Outreach Programme का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के सम्बन्ध में सभी नियोक्ताओं एवं कर्मिकों को जानकारी दी जाएगी एवं इस योजना के सम्बन्ध में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। इसके साथ आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग, पैन सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, KYC सुधार, e- Nomination, Principle Employer Portal पर पंजीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से सम्बंधित शिकायतों का निवारण किया जायगा। अतः सभी नियोक्ता, सदस्य, पेंशनर दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को अपने निकटतम जिले में आयोजित होने वाले Nidhi Apke Nikat 2.0 कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय,आगरा की Kiosk टीम से मिलकर अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। इस माह अप्रैल-2026 हेतु Theme- "Inoperative Accounts- Identification & Settlement Drive" निर्धारित की गई है। इसी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा एतद द्वारा EPS'95 के अपने ऐसे सभी पेंशनरों का ध्यान आकर्षित करता है कि जिन पेंशनरों ने अनेक सुचनाओं के पश्चात भी अभी तक अपना Life Certificate प्रस्तुत नहीं किया है , कृपया शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि पी.पी.ओ रद्द होने से बचाया जा सके। हर जिले में आयोजित होने वाले “निधि आपके निकट 2.0” कार्यक्रम में भी पेंशन-धारक अपना जीवन-प्रमाण सत्यापन करा सकते हैं ।	
District Name	Venue
Agra	Radhavallabh School, Dayalbagh, Agra
Mathura	Junsi Construction, Refinery main gate, Mathura
Aligarh	D S Balmindir, Aligarh
Kasganj	M/s SJS PUBLIC SCHOOL, SORON ROAD, KASGANJ
Mainpuri	CRB School, Panjabi Colony, Mainpuri,
Etah	Dr. Shyam Bihari Public School, Etah
Firozabad	CDGI, Firozabad
Hathras	Rajendra Lohiya Vidya Mandir, Hathras
(मिथिलेश कुमार चौधरी) सहायक भविष्य निधि आयुक्त	

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India	आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, राज नगरी फेज 2, फतेहबाद रोड, आगरा	ई-नीलामी 26.05.2026
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति (बैंक ऑफ इण्डिया) हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अवल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना		
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूति- दाता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्तियों जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है का कब्जा प्रतिभूति लेनदार (बैंक ऑफ इण्डिया) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, कि “जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है” के आधार पर प्रतिभूति लेनदार की अधोलिखित रूपये की बकाये राशि की वसूली हेतु अख्तित तिथि 26.05.2026 को प्राप्त: 1। बजे से साय: 5 बजे तक बेचा जायेगा।		
कॉर्स,	ज़ाणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
जिला आगरा , शाखा: एल्मादपुर, सम्पर्क करें मो.: 9456932596		
1. ज़ाणी एवं बंधककर्ता: श्री संजय सोलंकी पुत्र राम स्वरूप, पता- आर.एस. के पास पब्लिक स्कूल, बार्डपुर, सिफंदरा, आगरा, गारंटर- श्रीमती सीमा कुमारी पुत्री श्याम सुंदर, पता- 9/210, बाग मुजफ्फर खं, आगरा बकाया राशि: ₹. 14,59,555.00 + ब्याज व अन्य खर्चें, घटावें वसूली यदि कोई हुई हो तो		अवशेषी मकान स्थित 26 (भाग) खसरा संख्या 187 से 189, रोल नंबरईंसी, सिफंदरा, बहिनबाद, आगरा, एरिया- 33.44 वर्ग मीटर, संपात श्री संजय सोलंकी पुत्र भी राम स्वरूप के नाम, चौहट्टी:पूर्व - प्लॉट संख्या 21, पंचिचम - अन्य का प्लॉट, उतार - प्लॉट संख्या 27, दक्षिण - 6 मीटर चौड़ी सड़क आवृक्षित मूल्य:26,02,000/-
		अधिक बतलति: 2,60,200/-
जिला मथुरा , शाखा: अकबरपुर, सम्पर्क करें मो.: 8782275751		
2. ज़ाणी: श्री पुत्र सलत शर्मा पुत्र शिवलाल राम, सह-ज़ाणी: श्री दिलीप चंद शर्मा पुत्र पून सलत शर्मा, सह-ज़ाणी एवं बंधककर्ता: श्रीमती राधा देवी पत्नी पून सलत शर्मा, सभी का पता- प्लॉट नंबर 31 का आधा भाग, जल कर नंबर 1112/ए आरं नगर, कोसी कलां, तहसील छला, जिला मथुरा बकाया राशि: ₹. 10,28,221.68 + ब्याज व अन्य खर्चें, घटावें वसूली यदि कोई हुई हो तो		प्लॉट संख्या 31 का 1/2 भाग, जल कर संख्या 1112/ए आरं नगर, कोसी कलां, तहसील छला, जिला मथुरा, एरिया- 140 वर्ग मीटर, संपात श्रीमती राधा देवी के पून सलत शर्मा के नाम, चौहट्टी: पूर्व - गली, पंचिचम - रास्ता, उतार- रैन् देवी का प्लॉट, दक्षिण- जवाहर सलत का मकान आवृक्षित मूल्य:70,43,000/-
		अधिक बतलति: 7,04,300/-

नियम एवं शर्तों- 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanynet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है।2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीयाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक वस्तुकेजी सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा।3. बोलीयाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।4. सकल पंजीकरण के बाद बोलीयाता को प्रत्येक संपत्ति के लिएनिर्धारित ब्याज राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीयाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी।5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं।6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिछ्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिछ्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर संच राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान भुगतान में चुक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दीजा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चुक करने वाले क्रेता को कोई क्षति नहीं होगी। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।7. यदि किसी भी कारण से बिछ्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिछ्री से संबंधित सभी आकरसिफ खर्चा का वहन करना होगा और क्रेता बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जने का दावा करने का हकदार नहीं होगा।8. इच्छुक पक्ष बोलीयाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।9. संपत्ति की बिछ्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिछ्री को रद्द स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सकल क्रेता बोलीयाता को विक्रय प्रमाण पत्र सारफरकी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी किया जाएगा। सकल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा पूर्व भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकरसिफ व्यय आविवदन करने होंगे।11. यह सूचना उपरोक्त उद्घाटनकर्ताओं गिरवीदार गारंटरों को सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8 (6)/(62)/9 (1) के तहत दी की गई सूचना है।12. बोली लगाने वाले अपनी संपद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी। बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क सामग्रीआओ, विरूपण क्रेता, बिजली जुग होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।13. इच्छुक बोलीयाताओं को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्रतिक्रिया द्वारा संपत्ति पर किसी भी चार्ज, शुल्क और भार के संबंध में सलाहगीर्षक प्रस्ताव करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्थानिच, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।14. यदि उधारकर्ता बिछ्री की तारीख से चालूबैंक के डेय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोक / रद्द किया जाएगा लिया जा सकता है।।15. यह बिछ्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित सती और इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसारन में बैंक के वित्तनिर्देशों के अधीन होगी।।16. संयुक्त मूखंड के प्रस्तावी को प्राथमिकता दीजाएगी और सर्वज और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होती।17. बोली की कीमत आवृक्षित मूल्य से अधिक होने चाहिए और बोलीयाता को भविष्य में अपनी पैशकश को 10,000 रूपये के गुणक में चुकाटना होगा।।18. यदि किसी भी अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम भुगतान करते समय आवककर अभिलिखन की शारा 194 आईए वीअनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का। प्रसिद्धा टैडिएएस (वजन कटौती) काटकर आवककर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करवाता की प्रसिलिप्ति और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक करदेय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर,सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे।।19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषाके संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।।20. बोलीयाताओं को ई-नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीयाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होगी और किसी भी अनुरोध / संवाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिनों की वैधानिक बिछ्री सूचना	
आधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चा सहित ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, संपत्ति की नीलामी / बिछ्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।	
दिनांक : 25.04.2026	प्राधिकृत अधिकारी